12/4/2021 वकील फरीकेन उपस्थित। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तदनुसार प्रार्थी डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

मु.न. 49/10 | आर.सी.एस न0 2010/00009 | तारीख रजू 30.08.2010

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवेन्द्र सिंह परमार आर.ए.एस.

गुलाम रब्बानी पुत्र मोहम्मद अशफाक – फौत

1/1 मोहम्मद अशफाक
1/2 मोहम्मद उमर खान
1/3 मोहम्मद फारूख खान
— पिसरान गुलाम रब्बानी

1/4 आयशा खातून
1/5 रूखसाना खातून
1/6 आरीफा खातून
1/7 अफसाना खातून
— पुत्रियॉ गुलाम रब्बानी

जाति मुसलमान पठान निवासी चटीकना तहसील करौली व जिला करौली।

वादीगण

1. हण्डू पुत्र नामालूम आयु 52 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिधानिया सब तहसील मासलपुर व जिला करौली।
2. तहसीलदार तहसील करौली लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 12.04.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 384 रकवा 4 वीधा 2 विस्वा ग्राम बिचपुरी तहसील करौली वादी की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे कश्ति की [illegible]टी.एक्ट लागू होने के दिन व उससे पहिले व वाद इस जमीन में वादी [illegible] व वादी [illegible] खातेदार काश्तकार रहे है सम्बत 2012 में मुल्लन का नाम काश्त करते [illegible] हो गया था जिसका पता

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(2)

लगने पर मुल्लन से वादी के हक मे रजिस्टर्ड वयनामा करा लिया जमाबन्दी सम्बत 2012 व मिलान क्षेत्रफल सैटिलमेंन्ट दावे के साथ पेश की है खातेदार अली अहमद जो वादी का भाई था लाऔलाद फौत हो चुका है जिसका एक मात्र वारिस वादी था वादी वाहिद खातेदार काश्तकार काविज है। उक्त आराजी से वादी के अलावा किसी अन्य का कोई ताल्लुक नही है इस जमीन से चन्टोली का कभी कोई ताल्लुक नही रहा चन्टोली नाम का कोई व्यक्ति ग्राम महाराजपुरा तन बिचपुरी में नही रहा है ग्राम महाराजपुरा में उसकी कोई जमीन जायदाद नही है ना राशन कार्ड है ना वोटर लिस्ट में नाम है चंटोली ने इस जमीन में कभी भी काश्त नही की है सैटिलमेंट विभाग द्वारा सम्बत 2015 में गैर कानूनी तरीके से बिना किसी अधिकार के जमाबन्दी में चंटोली पुत्र टूण्डा कौम गुर्जर साविन महाराजपुरा तन बिचपुरी का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया कानूनन सैटिलमेन्ट विभाग पिछले इन्द्राज को ही दर्ज कर सकता है उसमें कोई तरमीम नही कर सकता है खातेदारी देने का कोई अधिकार नही है वादी 75 साल का है अन्य तक किसी चंटोली को नही देखा और वादी बिना किसी रूकावट के लगातार काविज रहा हूँ कभी चन्टोली ने काश्त मे रूकावट नही डाली जमीन कीमत अब बढ चुकी है प्रतिवादी हण्डू जो सिधनिया का रहने वाला है और कभी भी ग्राम महाराजपुरा में नही रहा है ने दिनांक 25.072009 को जमीन पर आकर कहा कि मैं चंटोली का लडका हूँ और चंटोली के नाम जमीन में इन्द्राज है इसलिए में इस जमीन की रजिस्ट्री लट्ठ वालों व्यक्ति को जमाबन्दी के इन्द्राज के आधार पर कराऊँगा और कब्जा काश्त तक वादी ने जमाबन्दी की नकल निकलवायी तब पता चला कि जमाबन्दी में 1/3 हिस्से में चंटोली का नाम गलत दर्ज हो रहा है प्रतिवादी अपने नाम नामान्तकरण खुलवा कर जमीन को बेचने व वादी को बेदखल करने की धमकी दी है और वादी की जमीन को छीनना चाहता है हण्डू भी ग्राम महाराजपुरा में कभी नही रहा व ग्राम सिधनिया में मय परिवार के अपनी जमीन पर काविज है फर्जी इन्द्राज के आधार पर फर्जी लडका वन कर जमीन को हडपना चाहता है यही वजह नालिस है वादी उक्त आराजी का वाहिद खातेदार काश्तकार घोषित कराने का व प्रतिवादी न0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है अन्त में दावा वादी ड्रिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी न01 ने उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि वादी ग्राम विचपुरी तहसील करौली में स्थित आराजी खसरा नम्बर 384 रकवा 4 वीधा 2 विस्वा का वाहिद खातेदार नही ना कब्जा काश्त है आर.टी.एक्ट लागू होने से पहिले उक्त भूमि वादी के पिता भाई वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की नही रही है ना ही कोई कब्जा रहा है विवादित आराजी का 1/3 हिस्सा आर.टी.एक्ट लागू होने से पूर्व ही मुझ प्रतिवादी के पूर्वजो के खातेदारी व कब्जे काश्त में रहा है मौके पर प्रतिवादी के पूर्वज हमेशा-हमेशा से वहैसियत खातेदार काश्तकार काविज रहे है और अब प्रतिवादी काबिज काश्त है सैटलमेन्ट कर्मियों ने सही तरीके से आराजी खसरा नं 384 में हिस्सा 1/3 की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:52 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

(3)

प्रतिवादी के पिता चंटोली के नाम दर्ज की है भुल्लन के नाम खातेदारी होना व भुल्लन से रजिस्ट्री करना वादी ने गलत दर्ज किया है प्रतिवादी अपने चंटोली के जमाने से 1/3 हिस्सा की आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हूँ वादी के पिता चंटोली के नाम खातेदारी इन्द्राज है वादी का यह कथन पूर्वतः गलत है कि चन्टोली नाम का कोई व्यक्ति ग्राम महाराजपुरा बिचपुरी में नही है ना ही महाराजपुरा में उसकी कोई जायदाद है और चंटोली ने इस जमीन को कभी काश्त नही किया हो वादी का यह कथन भी गलत है कि सैटलमेन्ट विभाग ने चंटोली के नाम खातेदारी गलत दर्ज की हो तथा वादी का यह कथन भी गलत है कि वादी बिना किसी रूकावट के आराजी पर काविज काश्त है प्रतिवादी के हिस्सा 1/3 की आराजी पर प्रतिवादी वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है और प्रतिवादी से पूर्व प्रतिवादी का पिता चंटोली व चंटोली का पिता काविज काश्त रहा है वादी कोई कब्जा काश्त प्रतिवादी के हिस्से की आराजी पर नही है सैटलमेंट विभाग द्वारा पूर्व इन्द्राज के आधार पर ही खातेदार दर्ज की है जमाबन्दी में चंटोली पुत्र टुण्डा का नाम सही दर्ज किया गया है। चंटोली गांव में रहा है वादी ने दावा गलत तथ्यों पर पेश किया है वादी का यह कथन भी पूर्णतः गलत है कि दिनांक 25.07.2009 को प्रतिवादी ने जमीन पर आकर यह कहा हो कि मैं चंटोली का लडका हूँ और जमीन लट्ठ वाले व्यक्ति को बेचेगा वादी ने उक्त अभिवचन झूँठा वाद कारण तैयार करने की गरज से दर्ज किये है प्रतिवादी मूलतः महाराजपुरा बिचपुरी का रहने वाला है और महाराजपुरा बिचपुरी में ही पैदा हुआ तथा वही पर पला एवं बडा हुआ पिता चंटोली भी पूरे जीवन काल में महाराजपुरा बिचपुरी में रहा है पिता की मृत्यु होने पर प्रतिवादी अपने रिश्तेदारों के यहॉ ग्राम सिंघनिया में चला गया क्योकि प्रतिवादी के माता–पिता प्रतिवादी को नाबालिग अवस्था में छोडकर स्वर्गवासी हो गये थे प्रतिवादी के हिस्से की आराजी को हमेशा को प्रतिवादी ने ही काश्त किया है प्रतिवादी चंटोली का प्राकृतिक पुत्र है और चंटोली उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इस कारण प्रतिवादी को अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का पूर्ण अधिकार है वादी का जमीन पर कोई कब्जा नही है प्रतिवादी अपने हिस्सा पिता चंटोली के पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है वादी का प्रतिवादी के हिस्सा की आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है ना पूर्व मे रहा है मै प्रतिवादी सिंघनिया व महाराजपुरा दोनो जगह रहता हूँ जो वादी की पूर्ण जानकारी में है वादी को कोई विनाय मुखास्मत दिनांक 26.07.2010 को पैदा नही हुयी है। प्रतिवादी का विवादित आराजी पर सैटलमेन्ट पूर्व से निर्विवाद निर्विहीन रूप से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है जो वादी की पूर्ण जानकारी में है प्रतिवादी का कब्जा काश्त 12 साल से अधिक से पुराना हो चुका है प्रतिवादी का विवादित आराजी पर मुखालफाना कब्जा है वादी ने दावा वहुत ही देरीना एवं मियाद बाहर पेश किया है वादी कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अन्त में दावा वादी खारिज किया जाने का निवेदन किया है । प्रतिवादी नं0 02 द्वारा कोई जबाब दावा पेश नही किया। वादी व प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाधक बिन्दु विरचित किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1. आया आराजी खसरा नम्बर 384 रकवा 4 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम बिचपुरी वादी की पुश्तैनी वाहिद खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है :– वादी
2. आया ग्राम बिचपुरी में चंटोली नाम का कोई व्यक्ति नही है न प्रतिवादी चंटोली का लडका है:– वादी
3. आया प्रतिवादी हण्डू का आराजी से कोई हक व सम्बत नही है फर्जी इन्द्राज के आधार पर आराजी मुतवादिया को हडपने पर आमादा हैं:– वादी
4. आया वादी आराजी मुतदाविया की खातेदारी अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है:– वादी
5. आया कभी प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत नही करे न अपने नाम आराजी का नामान्तकरण नहीं करावे:– वादी
6. आया आराजी मुतदाविया का 1/3 का खातेदार काश्तकार एंव काबिज है:– प्रतिवादी
7. अनुतोष

वाद विवाद्यक बिन्दु वादी साक्ष्य ली गयी। वादी ने आपनी मौखिक साक्ष्य में वादी पी.डब्ल्यू. 1 गुलाम रब्बानी व गवाह पी.डब्ल्यू. 2 गुलाब पुत्र जगन गूर्जर के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 69 प्रर्दश–1 व नकल जमाबन्दी सम्वत् 2012 प्रर्दश–2 व मिलान क्षेत्रफल प्रर्दश–3 सैटलमेन्ट जमाबन्दी प्रर्दश–4 को प्रदर्शित किया है। साक्ष्य वादी समाप्त कर बन्द की गयी।

साक्ष्य प्रतिवादी ली गयी प्रतिवादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी हण्डू डी. डब्ल्यू 1 व गवाह डी. डब्ल्यू. 2 नेमी के बयान लेखबद्ध कराये है। साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त कर बन्द की गयी।

वहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी का वहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजी वादी के पुस्तैनी खातेदारी व कब्जे की है आर. टी.एक्ट लागू होने के दिन व उससे पहिले व बाद में वादी के पिता व भाई व वादी वहैसियत खातेदार काबिज रहे है सम्वत् 2012 में भुल्लन का नाम काश्त करने के आधार पर गलत दर्ज हो गया जिसका पता लगने पर भुल्लन से वयनामा करा लिया वादी का भाई अली अहमद लाऔलाद फौत हो गया है जिसका वारिस वादी ही है। वादी के अलावा अन्य का कोई सम्बन्ध नही है जमीन से चंटोली का कोई सम्बन्ध नही है चंटोली नाम का कोई व्यक्ति महाराजपुरा बिचपुरी में नही है ना राशन कार्ड है ना वोटर लिस्ट में नाम है उसके नाम सैटलमैन्ट में गलत जमाबन्दी में दर्ज हुआ है सैटलमेन्ट विभाग को पूर्व राजस्व इन्द्राज को तरमीम करने का हक नही है। प्रतिवादी न01 चन्टोली का पुत्र बन कर भूमि का नामान्तकरण खुलवाया कर भूमि को बेचने व वादी को बेदखल कर कब्जा छीनने पर आमादा है दिनांक 25.07.2009 को उसके द्वारा धमकी देने पर जमाबन्दी लेने पर जानकारी होने पर दावा पेश किया गया है वादी अपने हक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खातेदारी घोषणा कराने व प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है। दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी हण्डू का बहस में कथन है कि भूमि वादी के वाहिद खातेदारी व कब्जे की नही है ना उसके पिता व भाई के खातेदारी की रही है भूमि के 1/3 हिस्सा पर आर.टी.एक्ट लागू होने से पूर्व से ही प्रतिवादी के पूर्वजो के खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है जिस पर प्रतिवादी के पूर्वज हमेशा से बतौर खातेदार काबिज रहे है और प्रतिवादी काबिज काश्त है सैटलमेन्ट में भूमि के 1/3 हिस्सा के सही खातेदारी प्रतिवादी के पिता चंटोली के हक में दर्ज हुई है चंटोली महाराजपुरा का रहने वाला है और अपने जीवनकाल तक चंटोली 1/3 हिस्सा पर बतौर खातेदार काबिज रहा है सैटलमेन्ट से पूर्व इन्द्राज के आधार पर ही खातेदारी दर्ज की है दिनांक 25.07.2009 को वाद कारण वादी ने झूंठा दर्ज किया है। प्रतिवादी व पिता प्रतिवादी मूलतः महाराजपुरा बिचपुरी के रहने वाले है चंटोली व उसकी पत्नि प्रतिवादी को नाबालिग अवस्था में छोडकर स्वर्गवासी हुये है प्रतिवादी का चंटोली प्राकृतिक पिता है उसकी मृत्यु होने पर प्रतिवादी अपने रिश्तेदारों के यहॉ ग्राम सिंघनिया चला गया प्रतिवादी दोनों जगह रहता है जिसकी वादी को पूर्ण जानकारी है वादी ने दावा देरी से म्याद बाहर पेश किया है प्रतिवादी का कब्जा 12 साल से अधिक समय से पुराना हो चुका है। दावा वादी खारिज किया जावें।

बहस उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का व साक्ष्य का अवलोकन कर विवेचन किया गया । प्रकरण का तनकीवार विवेचन कर निर्णय किया जाना उचित है तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

विवाद्यक संख्या 1 ता 4 घोषणा खातेदारी हकूक से सम्बन्धित है जिनका विवेचन एक साथ किया जाना ही उचित प्रतीत होता है। इनको सावित करने का भार भी वादी पर है। वादी ने इन विवाधकों के सम्बन्ध में नकल जमाबन्दी सम्बत 2012 प्रर्दश–2 व मिलान क्षेत्रफल प्रर्दश–3 व सैटलमेन्ट जमाबन्दी प्रर्दश–4 मुख्यतः पेश की है जिनको आधार मानते हुये वादी द्वारा यह वाद पेश किया है जमाबन्दी संवत् 2012 में वादग्रस्त आराजी का खसरा नम्बर 384 साविक खसरा नम्बर 266 मुहम्मद अशफाक व कदीर अहमद वल्द नामालूम कौम मुसलमान साकिन करौली हिस्सा 1/2 व अपठित पुत्र नेम सिंह कौम अपठित हिस्सा 1/2 दर्ज है जिससे वादग्रस्त आराजी वादी के पिता के खातेदारी की होना प्रकट होता है वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में व गवाह गुलाम ने अपने शपथ पत्र में भूमि पर वादी का कब्जा काश्त होना बताया है प्रतिवादी द्वारा कब्जा काश्त व चंटोली ... होने का कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नही किये गये है। मात्र शपथ पत्र साक्ष्य में पिता का नाम चंटोली होना बताया है वादी द्वारा विवाद्यक संख्या 1 ता 4 को साबित ... विवाद्यक संख्या 1 ता 4 वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध तय कर निर्णीत किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विवाद्यक संख्या 5 को सावित करने का भार भी वादी पर है। वादी ने इस सम्बन्ध में जमाबन्दी सम्बत 2012 प्रर्दश–2 प्रस्तुत की है जिससे वादी का वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार होना सावित है प्रतिवादी द्वारा इससे पूर्व का कोई राजस्व रिकार्ड चंटोली के नाम का प्रस्तुत नही किया है वादी भूमि का खातेदार काश्तकार होना प्रकट होता है सैटलमेन्ट इन्द्राज वहक पिता प्रतिवादी न0 1 चंटोली विला आधार दर्ज होना साबित होता है अतः विवाद्यक संख्या 2 वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 6 को साबित करने का भार प्रतिवादी न0 1 पर है प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेज इस बाबत संवत् 2015 से पूर्व का पत्रावली में प्रस्तुत नही किया है जिससे भूमि का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 के पिता चंटोली के खातेदारी में रहा हो मात्र जमाबन्दी में नाम सम्वत् 2015 सैटलमेन्ट चंटोली के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ जो विला आधार होना प्रतीत होता है। मौखिक साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी व गवाह नेमी ने 1/3 हिस्सा भूमि पर कब्जा होना कथन किया है जिरह में भूमि को गुलाब द्वारा काश्त करना बताया है गुलाब ने भूमि को वादी की ओर से साझे पर काश्त करना अपने बयानो में बताया है प्रतिवादी न01 अपने को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार होना व काविज होना साबित करने में असफल रहा है अतः विवाद्यक संख्या 6 प्रतिवादी के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 7 अनुतोष है विवाद्यक संख्या 1 ता 6 विवेचन से वादग्रस्त आराजी वादी के पिता मोहम्मद अशफाक के समय की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे की होना सैटलमेन्ट सम्बत 2015 में प्रतिवादी नं0 1 के पिता चंटोली के हक में अनाधिकार विला आधार इन्द्राज खातेदारी दर्ज होना प्रकट होता है। वादी वादग्रस्त भूमि की अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने का हकदार है दावा वादी ड्रिकी किये जाने योग्य है।

अतःदावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण ड्रिकी किया जाता है वादी को आराजी खसरा नम्बर 384 रकवा 4 वीधा 2 बिस्वा ग्राम बिचपुरी तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी न0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी के वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत नही करे एवं भूमि को रेहन वय नही करे। चंटोली पुत्र टुण्डा जाति गुर्जर निवासी महाराजपुरा मजरा साकिन देह का नाम खातेदारी से हजफ किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करें तदनुसार पर्चा ड्रिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:52 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner